

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.7450 हेतु वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये 16.06 लाख प्रति हेतु है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रु 11.96 लाख होता है तथा वार्षिक लीज रेन्ट 1 प्रतिशत की दर से 1 रु 0 होता है।

राजस्व उपनियोगकर्ता तहसीलदार उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी जखोली जखोली
जब्तद रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
जखोली

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

My
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी।

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि 99 वर्षों की लीज पर ली जा रही है।

— लागू नहीं है। —

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी।

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु
आरोसी०सी० पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग